पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी

डीआईजी ने एएचटीयू/महिला थाना/हेल्प लाइन 1090 की कार्यप्रणाली के संबंध कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

ललितपुर। झाँसी रेंज के समस्त चैकी प्रभारियों को विगत दिवस सीयूजी नम्बरों को आवंटित किये जाने के उपरान्त डीआईजी झाँसी कलानिधि नैथानी द्वारा रेंज के सभी जनपदों में व्यवसायिक दक्षता व जनहित के दृष्टिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने के क्रम में मानव तस्करी, बालश्रम, जबरन देहव्यापार एवं महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु मानव तस्करी रोधी ईकाई युनिटों को थाने के रुप में पुर्नगठन कर क्रियाशील करने के निर्देश दिये थे। डीआईजी झाँसी द्वारा बताया गया कि AHTU थानों की शासन द्वारा स्वीकृति के बाद, तीनों जनपद के एसएसपी , एसपी द्वारा इसी सप्ताह, तीनों जनपदों में इनके

युनिटों को थाने के रुप में प्रचलित कर प्रभारी, AHTU थाना नियुक्त किये गये है। पुलिस बल की पुर्ननियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक माह मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। AHTU को पूर्ण थाने का दर्जा मिला। अब आमजनमानस AHTU के थानों में सीधे एफआईआर करा सकेंगे। सूचना देने के लिए परिक्षेत्र के ए0एच0टी0यू0 थानों में क्रमशः सीयूजी नम्बर जनपद झाँसी-7839855171, जालौन-7839860039, व ललितपुर-7839862939 आवंटित किये गये हैं जिससे आमजन से सूचना तंत्र को मजबूत कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

महिलाओं की सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम के लिए परिक्षेत्र के जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि जनपदों में प्रति माह ए0एच0टी0यू0 की मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाये जिसमें जनपद के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी प्रतिभाग करें। चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। बच्चों के देखरेख व संरक्षण के लिए मुख्य कार्यदायी संस्था बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय स्थापित कर समीक्षा की कार्ययोजना तैयार करें। किशोर द्वारा विधि का उल्लंघन करने पर जे0जे0 बोर्ड की भूमिका के संबंध कार्ययोजना तैयार करें। ए0एच0टी0यू0/महिला थाना/हेल्प लाइन 1090 की कार्यप्रणाली के संबंध कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार, बाल संरक्षण आयोग, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट के संबंन्ध विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

मानव तस्करी रोधी इकाई थानों में तब्दील

झांसी। झांसी रेंज के तीनों जनपदों में कार्यरत मानव तस्करीरोधी इकाइयों को थाने में तब्दील कर दिया गया। तीनों थानों में प्रभारियों की भी तैनाती कर दी गई है। इन थानों में लोग अपनी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे।

मानव तस्करी, बालश्रम व जबरन देह व्यापार पर अंकुश लगाने और महिला व बच्चों की सुरक्षा के लिए रेंज के तीनों जनपदों में कार्यरत मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) का शासन की स्वीकृति के बाद थानों के रूप में पुनर्गठन किया गया है। झांसी एएचटीयू थाने का प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश चौबे, जालौन का अनिल कुमार और ललितपुर थाने का प्रभारी कृष्ण देव यादव को बनाया गया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि सभी थानों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे महिला बगैर संकोच के अपनी समस्याएं बता सकें। तीनों थानों को आपस में अच्छा सामंजस्य बनाने और पड़ोसी राज्यों से भी सूचना एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो

पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी

शासन की नई पहल, मानव तस्करी रोकने को उठाया कदम

अब तीनों जनपदों में यूनिटों की जगह बने एएचटीयू थाना

झाँसी। झाँसी रेंज के समस्त चौकी प्रभारियों को विगत दिवस सीयूजी नम्बरो को आवंटित किये जाने के उपरान्त डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा रेंज के सभी जनपदों में व्यवसायिक दक्षता व जनहित के दृष्टिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने के क्रम में मानव तस्करी, बालश्रम, जबरन देहव्यापार एवं महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु मानव तस्करी रोधी ईकाई (एएचटीयू) युनिटों को थाने के रुप में पुर्नगठन कर क्रियाशील" करने के निर्देश दिये थे।

डीआईजी ने बताया गया कि एएचटीयू थानों की शासन द्वारा स्वीकृति के बाद, तीनों जनपद के एसएसपी, एसपी द्वारा इसी सप्ताह तीनों जनपदों में इनके युनिटों को थाने के रुप में प्रचलित कर प्रभारी, एएचटीयू थाना नियुक्त किए गये हैं।

एएचटीयू के थानों में होगी सीधी एफआईआर

डीआईजी ने बताया कि एएचटीयू को पूर्ण थाने का दर्जा मिला। अब आमजनमानस एएचटीयू के थानों में सीधे एफआईआर करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सूचना देने के लिए परिक्षेत्र के एएचटीयू थानों में क्रमशः सीयूजी नम्बर जनपद झाँसी-7839855171, जालौन-7839860039, व ललितपुर-7839862939 आवंटित किये गये हैं जिससे आमजन से सूचना तंत्र को मजबूत कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

प्रतिमाह होगी मासिक कार्यशाला

डीआईजी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम के लिए परिक्षेत्र के जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि जनपदों में प्रति माह एएचटीयू को मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाये जिसमें जनपद के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी प्रतिभाग करें।

1090 की कार्यप्रणाली पर तैयार होगी कार्ययोजना

डीआईजी ने बताया कि चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि एएचटीयू थाना प्रभारी, बच्चों के देखरेख व संरक्षण के लिए मुख्य कार्यदायी संस्था बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय स्थापित कर समीक्षा की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि किशोर द्वारा विधि का उल्लंघन करने पर जेजे बोर्ड की भूमिका के संबंध कार्ययोजना तैयार करें। एएचटीयू/महिला थाना/हेल्प लाइन 1090 की कार्यप्रणाली के संबंध कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

सभी थानों में महिला पुलिस कर्मी होगी तैनात

डीआईजी ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार, बाल संरक्षण आयोग, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट के संबंन्ध विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने बताया है कि एएचटीयू के सभी थानों में महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है जिससे महिलाएं बिना संकोच अपनी समस्या बता सके।

पड़ोसी राज्यों से सूचनाएं करें एकत्रित

डीआईजी ने यह भी निर्देशित किया गया है कि तीनों जनपद के एएचटीयू थाने आपस में भी अच्छा समन्वय स्थापित करें तथा पड़ोसी राज्यों से भी सूचनाओं एकत्रित करते रहें और समन्वय करें।

इनको बनाया गया एएचटीयू थाना प्रभारी

तीनों जनपद के एएचटीयू थाने के प्रभारियों को तैनात कर दिया गया है। इनमें निरीक्षक जय प्रकाश चौबे, थाना प्रभारी AHTU जनपद झाँसी, सीयूजी नंबर - 7839855171, निरीक्षक अनिल कुमार, थाना प्रभारी एएचटीयू जनपद जालौन सीयूजी नंबर 7839860039, कृष्ण देव यादव थाना प्रभारी एएचटीयू जनपद ललितपुर सीयूजी नंबर 7839862939 है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने तीनों जनपद के एसएसपी/एसपी को उनके प्रयास एवं भविष्य हेतु उपरोक्त की शुभकामनाएं दी गई।